न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारीः— श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.

वाद संख्याः 2018/188 दायर दिनांक 12.06.2018

वादी		प्रतिवादी
1. मूलाराम पुत्र आसुराम, जाति माली, उम्र 75 वर्ष, निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान	बनाम	1. रामूराम पुत्र आसुराम, उम्र 80 वर्ष, 2. खेताराम पुत्र आसुराम, उम्र 75 वर्ष, समस्त जाति माली, निवासीयान डीडवाना, जिला नागौर, राजस्थान 3. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत बंटवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा 53, 188 आर. टी. एक्ट.

उपस्थित :—

1. श्री रणजीत बलारा अधिवक्ता वादी की और से।

—:: <u>निर्णय</u> ::— दिनांक 11.07.2018

वाद के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि खेत खसरा संख्या 02 रकबा 0.02 बीघा, व खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा, कुल 35.14 बीघा वाके पठानो का बाढ़ स्थित है, जिसकी वर्तमान में खातेदारी वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 के नाम से राजस्व रेकर्ड में दर्ज है। जमाबन्दी की नकल वाद के साथ पेश है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 तीनो सगे भाई है, जो स्वर्गीय आसुराम के पुत्र है। वादी व प्रतिवादी नम्बर 01 व 02 वर्षो पूर्व ही अलग अलग हो गये थे, और अलग अलग होकर उक्त खेतो का मौखिक बंटवारा आपसी सहमति से कर लिया था तथा मौखिक बंटवारा के अनुसार खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा में से उतरी 11.18 बीघा भूमि प्रतिवादी नम्बर 01 रामूराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा में से 11.16 बीघा बीच का व खसरा संख्या 02 रकबा 0.02 बीघा सम्पूर्ण कुल 11.18 बीघा भूमि प्रतिवादी नम्बर 02 खेताराम के बंट व कब्जा काश्त में आयी तथा खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा में से दक्षिणी 1/3 हिंस्सा अर्थात 11.18 बीघा भूमि वादी के बंट व कब्जा काश्त में आयी प्रतिवादी रामूराम ने अपने बंट के हिंस्से में वर्षो पूर्व ही दो पक्के रिहायसी मकान बना रखे है तथा प्रतिवादी खेताराम ने भी अपने बंट के हिंस्से में दो पक्के मकान बना रखे है तथा वादी ने भी अपने बंट व कब्जा काश्त के हिंस्से में एक पक्का मकान रिहायसी बना रखा है। तथा वादी व प्रतिवादीगण के बंट व कब्जा काश्त के हिंस्सो के बिच सिंवे कायम है, तथा वादी व प्रतिवादीगण का उपरौक्तानुसार बंट में आये हिंस्से पर अबाध रूप से कब्जा काश्त चला आ रहा है। वादी ने इसे अपने नजरी नक्शा में दर्शाया है, नजरी नक्शा वाद का भाग है जो वाद के साथ पेश है। उक्त कुल खेत 35.14 बीघा है, जिसमें से प्रत्येक के 1/3 हिंस्सा अर्थात 11.18 बीघा भूमि बंट व कब्जा काश्त में आयी। उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा नहीं होने से सरकारी सहायता लेने व अन्य कार्यो में भारी कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है।

पृष्ठ संख्या .....2..... लगातार

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Web Copy Not Official

Scanned by CamScanner

वादी उक्त खेतो का कानूनी रूप से बंटवारा करवाकर अपने बंट में आने वाली भूमि का अलग खाता करवाना चाहता है, जिसका कि वह कानूनन हकदार है। अतः वादी को दावा बाबत बंटवारा का करना लाजमी आया है। वादी के बंट व कब्जा काश्त के खेत में प्रतिवादीगण किसी प्रकार का दखल नहीं करें, इस बाबत पुनः स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का जायज हकदार है। वादी व प्रतिवादी संख्या 01 व 02 का खेत खसरा संख्या 02 रकबा 0.02 बीघा व खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा कुल 35.14 बीघा भूमि में से प्रत्येंक 1/3 हिंस्से के खातेदार है, तथा प्रत्येक के 11.18 बीघा भूमि हिंस्से में आती है।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया गया, प्रतिवादी संख्या 01 ता 03 को वास्ते जवाब देही न्यायालय में हाजिर होने बाबत् जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी बावजूद तामिलगी के न्यायालय में हाजिर नहीं होने से इनके विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लाई जाने का आदेश पारित किया गया।

वादी ने मौखिक साक्ष्य में आदेश 18 नियम 4 सी0 पी0 सी0 का pw-1 मूलाराम का शपथ पत्र पेश किया, दस्तावेजी साक्ष्य में खतौनी की नकल प्रदर्श –1, ट्रैस नक्शा प्रदर्श –2, वाद के साथ पेश नजरी नक्शा प्रदर्श –3 पेश किये।

वकिल वादी की बहस सुनी गयी। पत्रावली पर उपलब्ध रेकर्ड का अवलोकन किया। तत्सम्बन्धी विधि का अध्ययन किया।

अधिवक्ता वादी वाद को डिक्री किये जाने की इस्तदुआ कर रहे है।

अतः पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिप्रेक्ष्य में वादी का वाद डिक्री सादिर किया जाता है।

आदेश

हस्व दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद पठानो का बाढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 2 रकबा 0.02 बीघा, व खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा कुल 35.14 बीघा भूमि में से वादी के बंट के हिंस्से की दक्षिणी 11.18 बीघा भूमि का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए, बी, सी, डी का वादी को स्वतन्त्रं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। तदनुसार डिक्री पर्चा जारी हो, इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड दुरूस्त हो।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

निर्णय आज दिनांक 11.07.2018 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(उत्तमसिंह शेखावत)
सहायक कलेक्टर
R.A.S.
सहायक (कलक्टर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिगरी बमुकद्दमें इब्तदाई

(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत :– सहायक कलक्टर, डीडवाना

बइजलास : **श्री उत्तमसिह शेखावत, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्याः **2018/188** दायर दिनांक **12.06.2018**

वादी		प्रतिवादीगण
1. मूलाराम पुत्र आसुराम, जाति माली, उम्र 75 वर्ष, निवासी डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर	**बनाम**	1. रामूराम पुत्र आसुराम, उम्र 80 वर्ष, 2. खेताराम पुत्र आसुराम, उम्र 75 वर्ष, समस्त जाति माली, निवासीयान डीडवाना, तहसील डीडवाना, जिला नागौर 3. श्रीमान तहसीलदार डीडवाना

दावा बाबत् बन्टवारा व स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा– 53, 88, 188 R.T.Act.

–:निर्णय :– **दिनांक :– 11.07..2018**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री वादी की और से अधिवक्ता रणजीत बलारा पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि हस्व दावा पठानो का बाढ़ पटवार क्षैत्र सिंघाना भू– निरीक्षक क्षैत्र डीडवाना, तहसील डीडवाना जिला नागौर में हस्व दावा अन्तिम डिक्री सादिर कर वाके सरहद पठानो का बाढ़ में स्थित वर्तमान खेत खसरा संख्या 2 रकबा 0.02 बीघा, व खेत खसरा संख्या 03 रकबा 35.12 बीघा कुल 35.14 बीघा भूमि में से वादी के बंट के हिंस्से की दक्षिणी 11.18 बीघा भूमि का नजरी नक्शा में दर्शाये अनुसार मार्क ए, बी, सी, डी का वादी को स्वतन्त्रं खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है, नजरी नक्शा निर्णय का भाग रहेगा। इसी अनुरूप राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हो।

नीज..........–...........मुबलिंग............मुबलिंग...........–..............बावत.............–.............
खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह ....–............ आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख 11.07.2018 को जारी की गयी।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक	– –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बाबत इजराय हुक्मनामा मुतफर्रिक		
मिजान			मिजान		

नोट :– इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा हर दो फरीकेन का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नहीं दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलेक्टर
सहायक कलक्टर
डीडवाना (नागौर)
डीडवाना

Scanned by CamScanner